

# फट अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत

SDA

मुकाम

की लाना

किस्म मुकदमा

कौत मां 33

बनाम

कौत मां 33

120 RLA

नं.

87/18 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.5.18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपकें द्वार 2018 के तहत कैम्प <u>कचुमरा</u> पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट का पेश हुआ।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बड़ीसादड़ी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>गिजुमरा</u> की खाता संख्या <u>545</u> की आ. नं. <u>3419, 3423, 3428, 3444, 3447, 3450, 515253, 515254, 3484</u> के भूमि को पक्षीकरण रकबा <u>5.10</u> की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जावे। इसी आशय का हुकमनामा जारी हो। कमीशनरी फीस रुपये <u>2500/-</u> प्रार्थी से वसूल की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय लिखाया जाकर सरे आम सुनाया गया।</p>	



उप खण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी (विचारांगक)